

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश भोपाल

(शाखा- भू प्रबंध)

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/ एफ-5/912/E. file-0706/2025/

दिनांक- ई साइन

प्रेषक:-

एच. एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड नं. 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- ग्वालियर जिले के ग्राम डोंगरपुर में इंस्टीट्यूट एण्ड रिहैब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक
हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन
सोसायटी, ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत। (FP/MP/Other/38197/2019)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी ऑनलाईन सैद्धांतिक
स्वीकृति दिनांक 18.11.2021

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार ने
विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक शर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में
उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

शर्तें-A

शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्राप्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण
योजना की राशि रुपये 2136200/- ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 28.01.2022 को जमा की
जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (2) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा गैर वनभूमि वन विभाग को उपलब्ध कराई गई
है। अभिलेखों की छायाप्रति आवेदक संस्थान के पालन प्रतिवेदन के साथ A-2 के रूप में अपलोड
किया गया है।

शर्त क्रमांक (3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की
धारा 29 में अधिसूचित कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है, अधिसूचना प्राप्त होने पर पृथक से
प्रेषित किया जावेगा।

शर्त क्रमांक (4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 619740/-
ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 28.01.2022 को जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना की राशि एवं नेट
प्रजेन्ट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में दिनांक 28.01.2022 को जमा की जा चुकी है।

शर्त क्रमांक (6) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, र
वालियर का प्रमाण पत्र दिनांक 08.08.2025 पालन प्रतिवेदन के साथ A-6 के रूप में अपलोड
किया गया है।

शर्त क्रमांक (7) तक के पालन में व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वनीकरण क्षेत्र की KML File, e-
Green watch पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसकी ID No. 56363 से अपलोड किया गया
है।

शर्त क्रमांक (8) पालन में आवेदक संस्थान द्वारा शर्त मान्य किया गया है।

शर्त क्रमांक (9) के पालन में आवेदक संस्थान ने पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

शर्त-B

शर्त क्रमांक (1) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन के साथ B-1 के रूप में अपलोड किया गया है।

शर्त क्रमांक (2) का पालन वन मण्डल अधिकारी द्वारा गैर वनभूमि पर रोपण का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार करना सुनिश्चित किया जावेगा।

शर्त क्रमांक (3) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त एन.पी.वी. जमा करने का वचन पालन प्रतिवेदन के साथ A-4 के रूप में ऑनलाईन पोर्टल में अपलोड किया गया है।

शर्त क्रमांक (4) से (12) तक के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा शर्त मान्य किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 15-11-2025
23:27:36

(एच.एस. मोहन्ता)

प्रतिलिपि:-

- 1- वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 2- सदस्य, न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी, MIG-247, माधव नगर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म0प्र0)

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./25/6093
प्रति,

ग्वालियर, दिनांक 31/10/2025

मुख्य वन संरक्षक,
ग्वालियर वृत्त ग्वालियर

विषय- ग्वालियर जिले के ग्राम डोंगरपुर में इंस्टीट्यूट एण्ड रिहेब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पिटल के निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी ग्वालियर को उपयोग पर देने बावत्।

(Online Proposal no. -FP/MP/Other/38197/2019)

- संदर्भ- 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6-एमपीसी-060/2020-बीएचओ/775 दिनांक 18.11.2021
2-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-5/912/2019/10-11/3844 भोपाल दिनांक 22.11.2021
3-कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./7024 दिनांक 17.06.2022
4-आवेदक संस्था न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी, ग्वालियर का पत्र दिनांक 14.08.2025

विषयांकित प्रकरण में निवेदन है कि, ग्वालियर जिले के ग्राम डोंगरपुर में इंस्टीट्यूट एण्ड रिहेब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी ग्वालियर को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 6-एमपीसी-060/2020-बीएचओ/775 दिनांक 18.11.2021 एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/912/2019/10-11/3844 भोपाल दिनांक 22.11.2021 से (A) 01 लगायत 09 तक एवं (B) 01 लगायत 12 तक शर्तें अधिरोपित करते हुये सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है।

सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्था न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी, ग्वालियर द्वारा पत्र दिनांक 14.08.2025 से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

A. Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.

S. No.	Conditions	Reply
1	The cost of compensatory afforestation on the <u>CA land (0.99 ha NFL)</u> at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme. (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The Ca will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में जमा की गई है। अभिलेखों की प्रति A-1 पर संलग्न है।

2	Non-forest land shall transferred and mutated in favour of state Forest department and document shall be submitted.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है। अभिलेखों की छायाप्रति A-2 पर संलग्न है।
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the state forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as reserved forest under section-4 or Protected forest under section-29 of the Indian forest act, 1927 or under the relevant Section(s) of the state forest Act. Copy of notification shall be sent in stage-1 compliance report.	प्राप्त गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 में अधिसूचित कराने हेतु प्रस्ताव तैयार जा रहा है जो शीघ्र ही वरिष्ठ कार्यालय की ओर प्रेषित किया जायेगा।
4	The state Government shall charge the Net Present value(NPV) for the <u>0.99 ha</u> forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the order of the Hon'ble supreme court of india dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006 FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में जमा की गई है। अभिलेखों की प्रति A-1 पर संलग्न है।
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	उक्त शर्त का पालन आवेदक संस्था द्वारा किया गया है।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned district collector.	उक्त शर्त के पालन में कलेक्टर जिला ग्वालियर से प्राप्त एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र A-6 पर संलग्न है।
7	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details prior to stage-II approval.	उक्त शर्त का पालन विभाग द्वारा किया जायेगा।
8	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of chapter 1 of the handbook of comprehensive guidelines of forest (conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	शर्त का पालन किया जायेगा।
9	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड किया गया है।

B. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user agency by the states forest department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to stage-II approval:

S.No	Condition	Reply
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-1 पर संलग्न है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over <u>0.99 ha non forest land</u> (survey No. 2035/02, Gram van samiti- damtor khalsa, Gram Panchayat-Aaron, Tehsil-Ghatigaon, District- Gwalior, Madhya Pradesh) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	विभाग द्वारा उक्त का पालन किया जायेगा।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme court of india on receipt of the report from the expert committee, shall also be charged by the state government from the user agency. The user agency shall furnish an undertaking to this effect.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो A-4 पर संलग्न है।
4	<i>No tree felling shall be involved in the implementation of this project.</i>	उक्त शर्त का पालन कराया जायेगा।
5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned divisional forest officer.	उक्त शर्त का पालन आवेदक संस्था से कराया जायेगा। जिसके संबंध में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-5 पर संलग्न है।
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central government.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-6 पर संलग्न है।
7	No labour camp shall be established on the forest land.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-7 पर संलग्न है।
8	The user agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid and damage and pressure on the nearby forest areas.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-8 पर संलग्न है।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-9 पर संलग्न है।
10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-10 पर संलग्न है।
11	The forest land proposed to be diverted shall under no	उक्त शर्त के पालन में आवेदक

	circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of central Government.	संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-11 पर संलग्न है।
12	Any other condition that the ministry of environment forest & climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो B-12 पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार

(अंकित पाण्डेय)

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 31/10/2025

पृ० क्रमांक/मा.चि./25/6094

प्रतिलिपि -

1-अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर आवेदक संस्था से प्राप्त पालन प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ संप्रेषित। (संलग्न—उपरोक्तानुसार)

2-कलेक्टर, जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

3-आवेदक संस्था न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी, एमआईजी-247, माधव नगर, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

दिनांक 14/08/2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

विषय:- ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में 'इंस्टीट्यूट एंड रिहैबिलिटेशन फॉर पेरालेसिस एंड पैरोलोजिक हॉस्पिटल' के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी ग्वालियर को उपयोग पर देने के संबंध में राशि जमा उपरान्त समस्त अधिरोपित शर्तों का शर्तवार एकजाई पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

- संदर्भ:-1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल कार्यालय का पत्र क्रमांक /एफ-6MPB060/2020-BHO/775 दिनांक 18.11.2021
2. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध, म.प्र., भोपाल का पत्र क्रमांक एफ-5/912/2019/10-11/3844 दिनांक 22.11.2021
3. आवेदक संस्था द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 07.03.2022

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के प्रकरण में अनुरोध है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इंस्टीट्यूट एण्ड रिहैबिलिटेशन फॉर पेरालेसिस एण्ड पैरोलोजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी ग्वालियर को उपयोग पर देने के संबंध में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक- 6-MPB060/2020-BHO/775 दिनांक 18.11.2021 एवं प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1912/2019/10-11/3844 दिनांक 22.11.2021 से संलग्न प्राप्त पत्रों से शर्त क्रमांक (A) 01 से 09 तक एवं (B) 01 से 12 तक अधिरोपित शर्तों के आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई। उक्त जारी स्वीकृति के अनुसार राशि जमा करने के उपरान्त शर्त क्रमांक (A) 06 (कलेक्टर जिला ग्वालियर का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र छोड़कर) शर्तवार पालन प्रतिवेदन पूर्व में दिनांक 07.03.2022 को प्रेषित किया गया था।

प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक- 6-MPB060/2020-BHO/775 दिनांक 18.11.2021 में अधिरोपित शर्त क्रमांक (A) 06 के पालन में कलेक्टर जिला ग्वालियर का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, अतः समस्त अधिरोपित शर्तों का एकजाई पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

- A. Condition which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.

S. No.	Condition	Reply
1	The cost of compensatory afforestation on the CA land (0.99 ha NFL) at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme. (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The Ca will be maintained for 10 years. The scheme may include	उक्त शर्त के पालन में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में जमा की गई है। जमा की गई राशि का चालान नम्बर 19938197874 दिनांक 29.11.2021 से जमा की गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।

Neoteric Education And Service Society

	appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	
2	Non-forest land shall transferred and mutated in favour of state Forest department and document shall be submitted.	उक्त शर्त के पालन में उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि वन विभाग के नाम से हस्तांतरण कर दी गई है। अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न है।
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the state forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as reserved forest under section-4 or Protected forest under section-29 of the Indian forest act. 1927 or under the relevant Section(s) of the state forest Act. Copy of notification shall be sent in stage-1 compliance report.	उक्त शर्त वन विभाग से संबंधित है।
4	The state Government shall charge the Net Present value(NPV) for the 0.99 ha forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the order of the Hon'ble supreme court of india dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006 FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard	उक्त शर्त के पालन में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा में जमा की गई है। जमा की गई राशि का चालान नम्बर 19938197874 दिनांक 29.11.2021 से जमा की गई है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	उक्त शर्त के पालन में समस्त राशियों को ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा जमा कराई गई है।
6	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned district collector.	उक्त शर्त के पालन में कलेक्टर जिला ग्वालियर से प्राप्त एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र संलग्न है।
7	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-green watch portal with all requisite details prior to stage-II approval.	उक्त शर्त वनविभाग से संबंधित है।
8	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in Para 1.21 of chapter 1 of the handbook of comprehensive guidelines of forest (conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated 28.03.2019	शर्त मान्य है।
9	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	उक्त शर्त का शर्तवार पालन प्रतिवेदन ई-पोर्टल पर ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।

- B. Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user agency by the states forest department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to stage-II approval:


S.No.	Condition	Reply
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged	वन भूमि का वैधानिक अपरिवर्तित रहेगा। शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था सहमत है।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 0.99 ha non forest land (survey No. 2035/02, Gram van samiti- damtor khalsa, Gram Panchayat-Aaron, Tehsil-Ghatigaon, District- Gwalior, Madhya Pradesh) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species should be avoided.	वन विभाग से संबंधित है।
3	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme court of india on receipt of the report from the expert committee, shall also be charged by the state government from the user agency. The user agency shall furnish an undertaking to this effect.	शर्त मान्य है।
4	No tree felling shall be involved in the implementation of this project.	शर्त मान्य है।
5	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned divisional forest officer.	शर्त मान्य है।
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of central government.	शर्त मान्य है।
7	No labour camp shall be established on the forest land	शर्त मान्य है।
8	The user agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid and damage and pressure on the nearby forest areas.	शर्त मान्य है।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	शर्त मान्य है।
10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त मान्य है।

Neoteric Education & Service Society
MIG 247, Madhav Nagar
Gwalior-474002 (M.P.) INDIA
Phone: 8085811001

11	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of central Government.	शर्त मान्य है।
12	Any other condition that the ministry of environment forest & climate change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife	शर्त मान्य है।

उपरोक्तानुसार सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन कर दिया गया है। कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति एवं कार्य करने की अनुमति देने का कष्ट करें।

Neoteric Education And Service Society


 आवेदक संस्था
न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

प्रतिलिपि-
पृ० क्रमांक/

दिनांक.....

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक भू-प्रबंध म.प्र. भोपाल की ओर आपके पत्र क्रमांक/एफ-5/912/2019/10-11/3844 दिनांक 22.11.2021 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

Neoteric Education And Service Society

 आवेदक संस्था
न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-11-2021

Agency Name.	NEOTERIC EDUCATION AND SERVICE SOCIETY
Application No.	19938197874
MoEF/SG File No.	6-MPB060/2020-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	MIG 247 Madhav Nagar Gwalior
Amount(in Rs)	2755940/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Fifty-Five Thousand Nine Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507619938197874 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-11-2021

Agency Name.	NEOTERIC EDUCATION AND SERVICE SOCIETY
Application No.	19938197874
MoEF/SG File No.	6-MPB060/2020-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	MIG 247 Madhav Nagar Gwalior
Amount(in Rs)	2755940/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Fifty-Five Thousand Nine Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507619938197874 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com



(30258) - ALAPUR GWALIOR
SHAKUNTALAM PLAZA, PRITAM VIHAR COLONY, UNIVERSITY ROAD
THATIPUR GWALIOR 474002
Tel: 751 2340840 IFS Code: SBIN0030258

केवल 3 महीने के लिए वैध / VALID FOR 3 MONTHS ONLY

2	7	0	1	2	0	2	2
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

AY Yourself - for RTGS

को या उनके आदेश पर OR ORDER

पये RUPEES Twenty Seven lakh fifty five thousand nine hundred

eighty seven rupees and twenty paise only

अदा करें ₹ 27,55,987/20

वा. सं. 35575606030

VALID UPTO ₹ 50 LACS AT NON-HOME BRANCH



Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government



TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	-
Depositor/Dealer Name	Neoteric Education Society
Address	MIG 247 , Madhav Nagar, Gwalior, Gwalior, Madhya Pradesh - 474011
District selected for Payment	Gwalior
Unique Registration Number (URN)	MPTURN280120220004214
Department and Office Name	Common Challan Entry,
Challan Payment Period	2021-2022

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.)
MPT040628012022000006	2021-04-01 to 2022-03-31	0406-01-800-0229 (Miscellaneous receipts)	SBIN0006159040628012022170099	051/9999999/0406/01/22/000158	213620.00

Total Amount(in figures)	2,13,620.00
Total Amount(in words)	Two Lakh Thirteen Thousand Six Hundred Twenty Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CKS6749700
Scroll No	17007
Scroll Date	28/01/2022
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	28/01/2022 14:19:04
Transaction Status	Success




LR No. : 25007879736

मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा
प्ररूप एक (नियम 6 देखिए)
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

A (2)



नाम: आरोन			पटवारी हल्का: आरोन			तहसील: घाटीगांव		जिला: ग्वालियर			वर्ष: 2025-2026
भूमि के भाग की यूनिट आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक /ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता /पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौरुधी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विल्लंगम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी प्रास्थिति 2. भूमि पर संरचना /वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधा के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1494269638 83TAECDARY1VH0	2035/2 (S)		6.2700 हेक्टेयर कृषि रु.7.50	प्रेविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा लि दुबारा एन आर शारदा पता ग्वालियर मध्य प्रदेश निजी संस्था जी एल आर रियल ईस्टेट दुवारा एन आर शारदा पता ग्वालियर मध्य प्रदेश निजी संस्था हेवन हाईट प्रायवेट लिमिटेड पता ग्वालियर मध्य प्रदेश निजी संस्था वन मण्डलाधिकारी दुबारा वन मण्डल ग्वालियर पता ग्वालियर मध्य प्रदेश निजी संस्था	1/3 1/3 1/6 1/6						नामा.पंजी. 4/31.10.12से श्रीमान ुपर तह. महो. के आ.दि. 6.12.12से मृतक रामसिंह के बजाय उनके बारिसानो कापनामा.स्वी. नामांतरण(फौती)प्रकरण क्रमांक 4/31-10-2012 आ.दि. 21/11/2018 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(क्रय/ विक्रय)प्रकरण क्रमांक 9/2018-19/A6 आ.दि. 05/01/2019 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(क्रय/ विक्रय)प्रकरण क्रमांक 12/2018-19/A6 आ.दि. 05/01/2019 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(क्रय/ विक्रय)प्रकरण क्रमांक 13/2018-19/A6 आ.दि. 05/01/2019 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(क्रय/ विक्रय)प्रकरण क्रमांक 45/2018-19/A6 आ.दि. 31/05/2019 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0331/ अ-6/2021-22, आदेश दि. 28/01/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP142602021A11109552
पंजीकरण की तिथि	29/12/2021
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिन्ट करने की तिथि	29/12/2021
संपत्ति का मूल्य(यदि लागू है)	668800
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रूपये)	0
पंजीयन शुल्क (रूपये)	0
कुल स्टाम्प शुल्क (रूपये)	0
उप पंजीयक का नाम	DUSHYANT DIKSHIT
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उप पंजीयक कार्यालय ग्वालियर 1

विक्रेता - स्वयं

संगठन का नाम
अधिकृत व्यक्ति का नाम
पता

न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी द्वारा संयुक्त सचिव
श्री राहुल गुप्ता
एम.आई.जी.247, माधव नगर ग्वालियर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत


खरीदार- स्वयं


नाम
पेता/पति का नाम
पता

श्री संजीव कुमार
वनविभाग, ग्वालियर (म0प्र0), ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत


Digitally signed
by DUSHYANT
DIXIT
Date: 2021.12.29
17:22:18 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01011424122021012422
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	0
शासकीय स्टाम्प ड्यूटी (रुपए)	0
जनपद ड्यूटी (रुपए)	0
छूट दी गई राशि (रुपए)	0
ई स्टाम्प का प्रकार	गैर न्यायिक
निर्गमन तिथि एवं समय	24/12/2021 20:16:57
यूजर आईडी / जारीकर्ता	DEEPA GOYAL/SP011441511202000156
एस पी / एस आर ओ / डी आर ओ / एच ओ विवरण	23 BALAJI DHAM ENCLAVE NEAR OF GARDEN HOMES ALKAPURI ग्वालियर ग्वालियर

डीड विवरण

वैलेख का प्रकार	हस्तांतरण-पत्र
लेखत	हस्तांतरण-पत्र, जो ऐसे अंतरण के लिए नहीं है, जिसके लेखे क्रमांक 61 के अधीन प्रभार लगता है या छूट दी गई है.- उस संपत्ति, जो कि हस्तांतरण- पत्र की विषय-वस्तु है, " बाजार मूल्य गाइडलाइन " के अनुसार सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत तथा वास्तविक संव्यवहार मूल्य या बाजार मूल्य इनमे से जो भी अधिक हो, ऐसे आंतरिक भाग पर प्रमार्य शुल्क की दर 1 प्रतिशत नियत।

हेश्य

हस्तांतरण-पत्र


पहले पक्ष के विवरण

गठन का नाम	न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी द्वारा संयुक्त सचिव
ता	एम.आई.जी.247,माधव नगर ग्वालियर
वक्तियों की संख्या	1

दूसरे पक्ष के विवरण

म	श्री संजीव कुमार
ता	वनविभाग, ग्वालियर (म0प्र0)
वक्तियों की संख्या	1

खतम हस्तान्तरण पत्र





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि को मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन शासकीय वृक्षारोपण कार्य हेतु हस्तान्तरित की जा रही है, उक्त कृषि पर होने वाला व्यय शासन के जिम्मे होने से व शासकीय कार्य होने से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क से मुक्त है।

हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि (गैर वन भूमि) स्थित ग्राम आरौन तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर पटवारी हल्का क्रमांक 15 में स्थित है जिसका भू अधिकार ऋण पुस्तिका क्रमांक L क्रमांक GW 0042087 है हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि किसी भी शासकीय व भूदान व पट्टेआदि की भूमि नहीं है तथा जिस पर किसी भी अदालत से स्थगनआदिपारित नहीं है तथा जिसको हस्तान्तरित किये जाने में मध्य प्रदेशभूराजस्वसंहिता 1959 की धारा 165 का उल्लंघन नहीं होता है।

पक्षकार क्रमांक-1 न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी कार्यालय एम.आई.जी. 247, माधव नगर ग्वालियर (पंजीयन क्रमांक 7731 दिनांक 27-11-2002 द्वारा संयुक्त सचिव श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री रामजी दास गुप्ता निवासी एम.आई.जी.247, माधव नगर ग्वालियर (म0प्र0)


पक्षकारक्रमांक-2 मध्य प्रदेश शासन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल, ग्वालियर द्वारा उप वनमण्डल अधिकारी श्री संजीव कुमार वनविभाग, ग्वालियर (म0प्र0)


यह कि, पक्षकार क्रमांक 1 के भू स्वामी, स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम आरौन तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर में है जो समस्त शासकीय व अद्वैतशासकीय कार्यालयों के राजस्व अभिलेखों में अंकित होकर पक्षकार क्रमांक 1 उस पर एकमात्र मालिक व काविज है, वर्तमान में उक्त कृषि भूमि कही रहन, वय, दान बन्धक आदि नहीं है और उक्त कृषि भूमि को हस्तान्तरित करने वावत अन्य किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र नियुक्त नहीं किया है यानी हर प्रकार के ऋण भार व झगड़ों से साफ व स्वच्छ होकर उक्त कृषि भूमि को हर प्रकार से हस्तान्तरित करने के सम्पूर्ण अधिकार पक्षकार क्रमांक 1 को प्राप्त है कारण पक्षकारक्रमांक 1 की उक्त भूमि उपयोगमें नहीं होने से तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु उक्त भूमि शासकीय उपयोग के लिये हस्तान्तरित कर नामान्य व स्वीकार है।

यह कि, हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि की लोकेशन व स्वत्व सम्बन्धी सभी प्रमाण पक्षकार क्रमांक 1 ने पक्षकार क्रमांक 2 को मौके पर बताकर सौंप दिये है, जिनसे सन्तुष्ट होकर पक्षकार क्रमांक 2 के हक में यह हस्तान्तरण पत्र सम्पादित किया जा रहा है हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि ब्लाक जनपद पंचायत की सीमा के अन्दर स्थित होकर नगर पालिक निगम ग्वालियर की सीमा के बाहर स्थित है

जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

सर्वे क्रमांक 2035/2 का कुल रकवा 6.270 हेक्टेयर में से विक्रेता न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सर्विस सोसायटी कार्यालय एम.आई.जी. 247, माधव नगर ग्वालियर (पंजीयन क्रमांक 7731 दिनांक 27-11-2002 द्वारा संयुक्त सचिव श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री रामजी दास गुप्ता निवासी एम.आई.जी.247, माधव नगर ग्वालियर रकवा 1.045 हैक्टर भूमि को हस्तान्तरित किया जा रहा है।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

यह कि उक्त कृषि भूमि मुझ विक्रेता ने पूर्व विक्रेता लेख सिंह पुत्र स्व श्री राम सिंह से ई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक MP142602018A1776296 दिनांक 30 नवम्बर 2018 के द्वारा क्रय कर आधिपत्य प्राप्त किया था उसके उपरान्त पूर्व विक्रेता के नाम के स्थान पर मुझ विक्रेता के नाम का नामान्तरण शासकीय अभिलेख में स्वीकृत होकर दर्ज है


यह कि, उपरोक्त कृषि भूमि को पक्षकार क्रमांक 1 ने वहक मध्य प्रदेश शासन, भोपाल द्वारा वनविभाग, द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, वनमण्डल, ग्वालियर को वृक्षरोपण हेतु कतई हस्तान्तरित कर दिया। यदि भविष्य में पक्षकार क्रमांक 1 व उसकी किसी भी वारिसान द्वारा पक्षकार क्रमांक 2 के विरुद्ध कोई आपत्ति उठाई जाती है तो वह इस लिखितम के समक्ष मिथ्या व अमान्य समझी जावेगी बिना प्रतिफल हस्तान्तरण की जा रही है।


यह कि, पक्षकार क्रमांक 1 ने पक्षकार क्रमांक 2 को हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि पर वास्तविक व भौतिक रूप से रिक्त आधिपत्य (कब्जा) सौंप दिया है अब पक्षकार क्रमांक 2 उक्त कृषि भूमि का उपयोग वृक्षारोपण या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग करे यानी आज दिनांक तक जो स्वत्वाधिकार एवं सुखाधिकार पक्षकार क्रमांक 1 को प्राप्त थे वह आज दिनांक से मध्य प्रदेश शासन, भोपाल द्वारा वनविभाग, द्वारा जिला वनमण्डल अधिकारी, ग्वालियर पक्षकार क्रमांक 2 को प्राप्त हो गये है व भविष्य में भी रहेगें।

यह कि, पक्षकार क्रमांक 1 को वनविभाग द्वारा ग्राम डोंगरपुर जिला ग्वालियर जो सर्वेक्रमांक 17 रकवा 0.990 हैक्टर एवं ग्राम डोंगरपुर में इस्टीमेट एण्ड रिहेब्लिटेशन फोर पैरालेसिस एण्ड पैराप्लेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु पत्र क्रमांक मा0चि0/13899 दिनांक 3/12/2021 भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जापन क्रमांक 6-एम0पी0सी0 060/2020-बी0एच0ओ0/775 दिनांक 18/11/2021 पर्यावरण एवं मंत्रालय की ओर से प्रधान सचिव (वन) म0प्र0 शासन के परिपालन में पक्षकार क्रमांक 2 को हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि मध्य प्रदेश शासन के वनविभाग, ग्वालियर (पक्षकार क्रमांक 2) के हक में हस्तान्तरण पत्र सम्पादित कराया जा रहा है।

यह कि, पक्षकार क्रमांक 2 उक्त कृषि भूमि का नाम इन्द्रराज समस्त शासकीय व अटन्वशासकीय कार्यालयों में जहा जहा आवश्यकता हो, अपने नाम का इन्द्राज करा लेवे तथा भविष्य का टैक्स वगैरा अदा करें हस्तान्तरित की जाने वाली कृषि भूमि पर वर्तमान में कोई झगडा व न्यायालयीन विवाद व स्टे आदि विचाराधीन नहीं है। यदि पक्षकार क्रमांक 1 के किसी भी स्वत्वाधिकार की कमी के कारण हस्तान्तरित की जाने कृषि भूमि पर कोई विवाद पैदा हो अथवा पक्षकार क्रमांक 2 को आज दिनांक से पूर्व कोई टैक्स व क्लेम, ऋण भर आदि अदा कर ना पडे अथवा उक्त कृषि भूमि का कुल या कुछ भी भाग पक्षकार क्रमांक 2 से निकल जावे तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 1 की होगी और पक्षकार क्रमांक 2 को यह अधिकार होगा कि वह उक्त वर्णित क्षतिपूर्तियां मय हर्जा व खर्चा व ब्याज कानूनीदर से पक्षकार क्रमांक 1 की तमाम चल व अचलसंपतियों से वसूल कर लेवे जिसमें पक्षकार क्रमांक 1 व उसके किसी भी वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अतः यह लिखितम हस्तान्तरणपत्र पक्षकार क्रमांक 1 ने अपनी स्वेच्छा व सचेतावस्था में सुन व समझकर बिना किसी डर व दवाव के समक्ष गवाहान लिखा कर व पक्षकार क्रमांक 2 के हित में उनको पढ़वाकर सम्पादित कर







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

दिया कि प्रमाणरहे व समय पर काम आवें। इतिदिनांक 24-12-2021.

प्रस्तुत लिखतम का प्रारूप पक्षकारों के बताये अनुसार संस्था द्वारा तैयार किया गया है।

-----Please turn over/कृपया पृष्ठ पलटिये।-----






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

संपत्ति विवरण अनुलग्नक

संपत्ति आईडी	1483202106614558						
संपत्ति का प्रकार	कृषि भूमि						
संपत्ति का सीमा चिन्ह :	--						
संपत्ति का पता :	कृषि भूमि स्थित ग्राम आरौन तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर						
विकास खण्ड (विकास खंड) :	--						
राजस्व निरीक्षक वृत्त :	--						
लेआउट का विवरण :	--						
नजूल / शीट क्रमांक :	--						
भूखण्ड क्रमांक :	--						
खसरा का विवरण और चतुर्सीमा का विवरण							
खसरा क्रमांक	खसरा क्षेत्रफल	लगान / भूमि राजस्व (रूपये)	कृषि पुस्तिका क्रमांक	उत्तरी सीमा	दक्षिण सीमा	पूर्व सीमा	पश्चिम सीमा
2035/2	1.045	7.50	L क्रमांक GW 0042087	00	00	00	00
अतिरिक्त अपलोड							
a_0.jpeg							
a_1.jpeg							
a_2.jpeg							
a_3.jpeg							







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

जिला	ग्वाल्दियर		
सहायक जिला	ग्वाल्दियर		
क्षेत्र प्रकार	ग्राम - क्षेत्र		
उप क्षेत्र प्रकार	मान जयानिग क्षेत्र		
पट्टाबारी हदका / गांवा	पट्टाबारी हदका क्रमांक 15		
ग्राम / मोहल्ला / कालोनी	आरोन		
क्या एक से अधिक क्षेत्रा है?	नहीं		
क्या क्षेत्रा एक ही परिवार के है?	नहीं		
क्षेत्राओं की संख्या	0		
क्या आप अपने हिस्से का खुलासा करना चाहते हैं?	नहीं		
क्या भूमि भूमि पर वेड है?	नहीं		
संपत्ति 1 : अद्वयपत्ति			
क्षेत्र का विवरण (हेक्टेयर)			
भुगत क्षेत्रफल	असिक्ता एक फसल भूमि का भुगत क्षेत्रफल	असिक्ता दो फसल भूमि का भुगत क्षेत्रफल	सिक्ता भूमि का क्षेत्रफल
1.045	0	0	1.045
क्या भूमि भूमि पर खेई निर्माण है?			नहीं

कुल मुद्रांक एवं छूट

छूट मुद्रांक शुल्क (रु)	0.0	छूट पंजीयन शुल्क (रु)	0.0
कुल देय शुल्क (रु)	0.0	कुल देय पंजीयन शुल्क	0.0
प्रतिफल राशि (रु)	0		





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

I/We hereby authenticate and confirm the recitals of all the pages and entries of this deed with deed ID 2 of this deed with Deed ID 25375422 and e-Stamp code Q1011424122021012422 , and also execute the deed with my/our signatures below.

Signature of First Party/ Parties
Name and Father's Name

Signature of [Name] [Father's Name]
[Handwritten signature]

Signature of Second Party/ Parties
Name and Father's Name


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Signature of Third Party/ Parties
Name and Father's Name



Witness 1 Name [Name]
Address [Address]
Signature [Signature]
ID Proof type and number [ID Proof type and number]
PAN No. [PAN No.]


Witness 2 Name [Name]
Address [Address]
Signature [Signature]
ID Proof type and number [ID Proof type and number]
PAN No. [PAN No.]







रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश





संजय शर्मा
उप सचिव/सहायक सचिव
राज्यीय परिषद


Secretary
Madhya Pradesh Land Service Society






रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश




खेमराज शर्मा
उप-वनमण्डलाधिकारी
घाटीगौर, ग्वालियर

Secretary
Education And Service Society




शर्त क्रमांक- A (4)

व्यपवर्तित वनभूमि के बदले अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि जमा किये जाने का।

वचन-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैबिलिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि न्यूट्रिक एजुकेशन सोसायटी ग्वालियर को उपयोग पर देने के संबंध में, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक /6-MPB 060/2020-BHO/775 दिनांक 18.11.2021 के द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्र. A (4) के पालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं भारत सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि जमा करने हेतु शर्त अधिरोपित की जाती है तो आवेदक संस्था राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society



आवेदक संस्था


न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी

एम.आई.जी.-247, माधव नगर

ग्वालियर (म.प्र.)

A(4)

AGENCY COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-11-2021

Agency Name.	NEOTERIC EDUCATION AND SERVICE SOCIETY
Application No.	19938197874
MoEF/SG File No.	6-MPB060/2020-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	MIG 247 Madhav Nagar Gwalior
Amount(in Rs)	2755940/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Fifty-Five Thousand Nine Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507619938197874 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 29-11-2021

Agency Name.	NEOTERIC EDUCATION AND SERVICE SOCIETY
Application No.	19938197874
MoEF/SG File No.	6-MPB060/2020-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	MIG 247 Madhav Nagar Gwalior
Amount(in Rs)	2755940/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Fifty-Five Thousand Nine Hundred and Forty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	1507619938197874 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through mail: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to mail: cb0371@unionbankofindia.com



(30258) - ALAPUR GWALIOR
SHAKUNTALAM PLAZA, PRITAM VIHAR COLONY, UNIVERSITY ROAD
THATIPUR GWALIOR 474002
Tel: 751 2340840 IFS Code: SBIN0030258

केवल 3 महीने के लिए वैध / VALID FOR 3 MONTHS ONLY
27 01 20 22
D D M M Y Y Y Y

Yoursself - for RTGS

को या उनके आदेश पर OR ORDER

RUPEES Twenty Seven Lakh fifty five thousand nine hundred

eighty seven Rupees and twenty paise only

अदा करें ₹ 27,55,987/20

ACB

Annexure- II

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of M.P.
Office of the District Collector, Gwalior

No 1149/8-अ.अ./वन/2025

Dated 08-08-2025

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-5/98-FC (pt.) dated 3 August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.990 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of Neoteric Education and Service Society, Residence address-MIG-247, Madhav Nagar Gwalior for Institute and Rehabilitation center for Paralysis and Paraplegic hospital in Gwalior district falls within jurisdiction of Dongarpur village in City centre tehsil.

It is further certified that based on the report of Sub divisional committee and examination by district level committee :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.990 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Mohalla Samiti, Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Mohalla Samiti of forest-dwellers, who eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Mohalla Samiti, has certified that all formalities/Processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Mohalla Samiti of Dongarpur village is enclosed as annexure 1.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Mohalla Samiti.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls: As above.



Signature

DISTRICT COLLECTOR
Gwalior

शर्त क्रमांक- B (1)

वचन-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैबिलिटेशन फोर पैरालेसिस एण्ड पैरालोजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society



आवेदक संस्था


न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी.-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (4)

वचन-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैबिलिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि की परियोजना के कार्यान्वयन में प्रभावित वृक्षों के अतिरिक्त किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जावेगी। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society



आवेदक संस्था


न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी.-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (5)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैब्लिटेशन फोर पैरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि का आवेदक संस्था द्वारा प्रभावित वन भूमि का संबंधित वनमण्डलाधिकारी ग्वालियर के निर्देशानुसार किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society



आवेदक संस्था

न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी

एम.आई.जी.-247, माधव नगर


ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (6)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहेबिलिटेशन फोर पैरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि का आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित भूमि के रेखांकन (ले-आउट प्लान) में कोई बदलाव बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society



आवेदक संस्था


न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी.-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (7)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैबिलिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि में हॉस्पिटल भवन निर्माण के दौरान वन क्षेत्र में कोई मजदूरों को कोई कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society



आवेदक संस्था

न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी


एम.आई.जी.-247, माधव नगर

ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (8)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैबिलिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि में हॉस्पिटल भवन निर्माण के मजदूरों को ईंधन के रूप में एल.पी.जी. उपलब्ध कराई जावेगी, ताकि वन सम्पदा कोई नुकसान न हो। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



आवेदक संस्था "

न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी

एम.आई.जी.-247, माधव नगर


ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (9)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि में हॉस्पिटल भवन निर्माण के इस अनुमोदन के तहत विपथन की अवधि परियोजना की अवधि के साथ समाप्त होगी। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society




आवेदक संस्था

न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी.-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (10)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैबिलिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था Neoteric Education And Service Society वचनबद्ध है।



आवेदक संस्था


न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी.-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (11)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैबिलिटेशन फोर पैरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य विभाग या व्यक्ति को बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं दी जावेगी। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society



आवेदक संस्था


न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी.-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)

शर्त क्रमांक- B (12)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ग्वालियर जिले में ग्राम डोंगरपुर में इस्टीट्यूट एण्ड रिहैब्लिटेशन फोर पेरालेसिस एण्ड पैरालेजिक हॉस्पिटल के नवीन भवन निर्माण हेतु 0.990 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के उपयोग में आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार पर्यावरण द्वारा वनों के विकास व वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु शर्त अधिरोपित की जाती है उनका समय-समय पर पालन किया जावेगा। उक्त शर्त मान्य करने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

Neoteric Education And Service Society



आवेदक संस्था

न्यूट्रिक एजुकेशन एण्ड सोसायटी
एम.आई.जी.-247, माधव नगर
ग्वालियर (म.प्र.)



FCA Projects, Diverted Land, CA Land Management

Home FCA-1980 Projects Diverted Lands CA Lands Reports

INFORMATION

SUCCESS: The FCA project has been Registered sucessfully. You can now edit the project details and lock for ID:56363

Neoteric Education Society Institute &

Project Name : **Rehabilitation
Center for Paralysis
& Paraplegic**

Year : **2025**

- To Register a new FCA Project, please click here [Register a New FCA Project](#)
- To Edit details of Existing FCA Project, Please click here [Edit the Existing FCA Project Details](#)
- To Lock the Details of FCA Project, Please click here [Lock FCA Projects](#)
- [Add CA Land / Site Details to the Project](#) Please click here to add the CA Site/Land Details to the Project.

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

- To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submitted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.
- Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.
- Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.
- Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.
- Paid : This icon shows that the payment has been made.

Proposals received on or after 15th July 2014 All Proposals received upto 14th July 2014

Select Region : Select State :

Select User Agency :

Payment Status : Paid Unpaid All

Enter value for Search :

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter	
1	FP/MP/Others/38197/2019 (.../viewreport.aspx?pid=FP/MP/Others/38197/2019) Neoteric Education Society Institute & Rehabilitation Center for Paralysis & Paraplegic	OTHERS381972019874	18 Nov 2021	CA: 2136200/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 619740/- NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- Total: 2755940/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- NA : 0/-	<input checked="" type="checkbox"/> Paid	Fund Demand Verified by : 29 Nov 2021 Nodal Officer On : Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 29 Nov 2021 Transaction Date : 28 Jan 2022	Demand Letter (.../writereaddata/Fundpdf/291120211612004877_FPMPOthers381972019_User_Fund_Demanded_78356.pdf) Generated Challan (.../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=OTHERS381972019874)

